न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 02/2024 – निगरानी

उनवान प्रकरण

1. ग्राम पंचायत जाल खेड़ा जरिए सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत जाल खेड़ा पंचायत समिति हुरडा जिला भीलवाडा

बनाम

1. रामकुंवार गुर्जर पुत्र बालूराम गुर्जर निवासी जालखेड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत तस्वारिया पट्टा दिनांक 05.10.1980

उपस्थित –

1. श्री रमेश चन्द्र शर्मा II अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री रामपाल शर्मा, चन्द्रप्रकाश शर्मा अधिवक्ता – गैर निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 06.10.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम जालखेडा तहसील हुरडा में आबादी भूमि स्थित है। ग्राम सहकारी समिति जालखेडा ने पट्टे का आवेदन ग्राम पंचायत जालखेडा में करने पर पंचायत द्वारा अनुमोदन हेतु मिसल कायम की गई एवं आमजन से आपत्ती मांगी गई। जिसमें गैर निगराकार द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और बताया कि गैर निगराकार के पूर्वज दादाजी भागु पुत्र धुला गुर्जर के नाम से एक बापी पट्टा संख्या 44/05.10.1980 जारी है एवं विरासत में गैर निगराकार को हक अधिकार प्राप्त है। पंचायत द्वारा गैर निगराकार से असल पट्टा प्रति मांगने पर बताया कि उसके पास असल पट्टा नहीं है। मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण कराया तो मौके पर उक्त भूखण्ड खाली पाया गया तथा उक्त भूखण्ड पर गैर निगराकार व उसके पूर्वज द्वारा कभी भी कब्जा नहीं रहा और न ही किसी आवासीय उपयोग हेतु लिया गया। ग्रा0 पं. जालखेडा द्वारा ग्रा0प0 तस्वारिया से भी उक्त पट्टे के संबंध में जानकारी चाही गई तो वहां से दिनांक 06.01.2023 को दिए गए प्रमाणीकरण में बताया कि वहां इस संबंध में किसी प्रकार कि मिसल कायम नहीं है एवं न ही रिकॉर्ड व पट्टा उपलब्ध है। इस

6.10

अति जिला कलक्टर

प्रकार ग्रा0प0 जालखेडा को जानकारी में आया कि गैर निगराकार एवं उसके पूर्वज का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा एवं न ही आवासीय उपयोग में रहा। गैर निगराकार द्वारा फर्जी पट्टे का निर्माण कर अवैध कब्जा बताया जाकर अवैध रूप से प्रतिफल प्राप्त करने की गरज से उक्त कार्यवाही की गई एवं इस प्रकार गैर निगराकार कूटरचना कर सरकारी सम्पत्ति का दुरूपयोग करने पर आमादा है। गैर निगराकार के पक्ष में जो पट्टा जारी किया है, उक्त पट्टे बाबत् किसी प्रकार की पत्रावली ग्राम पंचायत तस्वारिया में जमा कराने बाबत् कोई पत्रावली शुल्क, रसीद अथवा पट्टा प्राप्ति बाबत् किसी प्रकार का शुल्क भी जो ग्रा0प तस्वारिया को अदा किया हो, ऐसी कोई भी रसीद गैर निगराकार द्वारा ग्रा0प को प्रदत्त नहीं की है। इस संबंध में पंचायत राज अधिनियम के तहत बिना किसी मिसल कायम किए, बिना किसी पत्रावली का शुल्क जमा किए एवं बिना नक्शा व निरीक्षण शुल्क जमा किए एवं उक्त भूखण्ड के आवासीय उपयोग के बिना किसी भी स्थिति में पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। अधिनियम के प्रावधानों अनुसार पट्टा जारी करते समय 3 वार्डपंचों की निरीक्षण रिपोर्ट बनाई जाकर ग्राम वासियों की उपस्थिति में निरीक्षण की कार्यवाही की जाती है। किंतु इस प्रकरण में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। उक्त पट्टे में किसी भी वार्डपंच के निरीक्षण बाबत् कोई भी मौका रिपोर्ट अंकित नहीं है। उक्त भूमि राजकीय आबादी भूमि है एवं इसमें ग्राम पंचायत का विधिक एवं नैतिक दायित्व है कि वह उक्त सम्पत्ति की रक्षा करे। ग्रा0प जालखेडा द्वारा गैर निगराकार द्वारा उक्त भूखण्ड पर अवैध रूप से पोल गाढ़कर कब्जा करने का प्रयास किया जिस पर थानाधिकारी गुलाबपुरा की ओर से एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107, 116(3) द. प्र.सं. के तहत न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट गुलाबपुरा के समक्ष गैर निगराकार के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रकरण संख्या 06/2023 है। पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत उक्त अधिनियम से पूर्व जारी पट्टे भी उक्त अधिनियम के प्रावधानों से ही शासित होगें। अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार के पूर्वज भागु पिता धुला के नाम से जारी पट्टा संख्या 44/05.10.1980 को अपास्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

6.10

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम जालखेडा तहसील हुरडा में आबादी भूमि स्थित है। ग्राम सहकारी समिति जालखेडा ने पट्टे का आवेदन ग्राम पंचायत जालखेडा में करने पर पंचायत द्वारा अनुमोदन हेतु मिसल कायम की गई एवं आमजन से आपत्ती मांगी गई। जिसमें गैर निगराकार द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और बताया कि गैर निगराकार के पूर्वज दादाजी भागु पुत्र धुला गुर्जर के नाम से एक बापी पट्टा संख्या 44/05.10.1980 जारी है एवं विरासत में गैर निगराकार को हक अधिकार प्राप्त है। पंचायत द्वारा गैर निगराकार से असल पट्टा प्रति मांगने पर बताया कि उसके पास असल पट्टा नहीं है। मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण कराया तो मौके पर उक्त भूखण्ड खाली पाया गया तथा उक्त भूखण्ड पर गैर निगराकार व उसके पूर्वज द्वारा कभी भी कब्जा नहीं रहा और न ही किसी आवासीय उपयोग हेतु लिया गया। गैर निगराकार के पक्ष में जो पट्टा जारी किया है, उक्त पट्टे बाबत् किसी प्रकार की पत्रावली ग्राम पंचायत तस्वारिया में जमा कराने बाबत् कोई पत्रावली शुल्क, रसीद अथवा पट्टा प्राप्ति बाबत् किसी प्रकार का शुल्क भी जो ग्रा0प तस्वारिया को अदा किया हो, ऐसी कोई भी रसीद गैर निगराकार द्वारा ग्रा0प को प्रदत्त नहीं की है। इस संबंध में पंचायत राज अधिनियम के तहत बिना किसी मिसल कायम किए, बिना किसी पत्रावली का शुल्क जमा किए एवं बिना नक्शा व निरीक्षण शुल्क जमा किए एवं उक्त भूखण्ड के आवासीय उपयोग के बिना किसी भी स्थिति में पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। अधिनियम के प्रावधानों अनुसार पट्टा जारी करते समय 3 वार्डपंचों की निरीक्षण रिपोर्ट बनाई जाकर ग्राम वासियों की उपस्थिति में निरीक्षण की कार्यवाही की जाती है। किंतु इस प्रकरण में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। उक्त पट्टे में किसी भी वार्डपंच के निरीक्षण बाबत् कोई भी मौका रिपोर्ट अंकित नहीं है। उक्त भूमि राजकीय आबादी भूमि है एवं इसमें ग्राम पंचायत का विधिक एवं नैतिक दायित्व है कि वह उक्त सम्पत्ति की रक्षा करे। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार के पूर्वज भागु पिता धुला के नाम से जारी पट्टा संख्या 44/05.10.1980 को अपास्त फरमाया जावे।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि निगरानी मिथ्यापूर्वक प्रस्तुत की गई है। उक्त भूखण्ड पर गैर निगराकार संख्या 1 वर्षों से काबिज होकर उपयोग उपभोग

6.10

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

करता चला आ रहा है तथा उक्त भूखण्ड पर मिट्टी के घरोंदे व केलु पोश मकान बने हुए थे। जिसमें गैर निगराकार के परदादा भागू, दादा निम्बा निवासरत होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। समय काल परिस्थियों से उक्त कच्चे मकान ध्वस्त हो गए तथा उनकी मिट्टी, खपरेल उक्त भूखण्ड पर स्थित है तथा वर्तमान में गैर निगराकार काबिज है। उक्त भूखण्ड पर ग्राम पंचायत तस्वारिया ने पट्टा संख्या 44/29.09.1980 जरिए शुल्क स्टाम्प पत्रावली कायम की जाकर मिसल संख्या 532034 है तथा दिनांक 05.10.1980 को जारी किया जो सही है। उस समय जालखेडा कंवलियास ग्राम पंचायत तस्वारिया के अंतर्गत आते थे। उसके बाद ग्रा0प0 कंवलियास में जालखेड़ा को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार ग्राम जालखेड़ा दो पंचायतों में सम्मिलित होने की वजह से ग्राम पंचायत मुख्यालय से इतना पुराना रिकॉर्ड वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं होने की वजह से मिसल पत्रावली ग्राम पंचायत जालखेडा के समक्ष गैर निगराकार प्रस्तुत नहीं कर सका जिसको माध्यम बनाकर उक्त विवादित पट्टे को फर्जी बता रहे है। जोकि गैर निगराकार के विरूद्ध अन्यायपूर्ण है। गैर निगराकार 1 ने उक्त भूखण्ड बाबत् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका पेश कर रखी है जिसमें यह न्यायालय भी पक्षकार है तथा उक्त याचिका के बारे में निगरानी में हवाला नहीं दिया गया एवं न्यायालय से तथ्य छिपाए गए है इसलिए यह निगरानी खारिज होने योग्य है। निवेदन हैं कि निगरानी खारिज की जावे।

प्रकरण में बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रश्नगत भूखण्ड पर गैर निगराकार के परदादा भागू के नाम ग्राम पंचायत तस्वारिया ने पट्टा संख्या 44/29.09.1980 जरिए शुल्क स्टाम्प पत्रावली कायम की जाकर मिसल संख्या 532034 है तथा दिनांक 05.10.1980 को जारी किया गया हैं। उस समय जालखेडा कंवलियास ग्राम पंचायत तस्वारिया के अंतर्गत आते थे। उसके बाद ग्रा0प0 कंवलियास में जालखेड़ा को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार ग्राम जालखेड़ा दो पंचायतों में सम्मिलित होने की वजह से ग्राम पंचायत मुख्यालय से इतना पुराना रिकॉर्ड वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं होने की वजह से मिसल पत्रावली ग्राम पंचायत जालखेडा के समक्ष गैर निगराकार प्रस्तुत नहीं कर सका। गैर निगराकार

6.10

अति जिला कलक्टर

अधिवक्ता के उक्त कथनानुसार पत्रावली अवलोकन से जाहिर आया कि गैर निगराकार स्वयं ने भी उक्त प्रश्नगत पटटा भूखण्ड के संबंध में कोई भी दस्तावेज पेश नही किये यथा(गैर निगराकार के पूर्वजों के नाम पर जारी पटटे के प्रमाणित प्रति/मूल पटटा, पटटा शुल्क रसीद, स्वयं का कब्जा होने का प्रमाणिक दस्तावेज)। जिससे जाहिर होता हैं कि प्रश्नगत पटटा विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य हैं।

गैर निगराकार ने अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रकरण के संबंध में एक रिट याचिका मान. उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन हैं। पत्रावली अवलोकन से जाहिर आया कि गैर निगराकार ने रिट याचिका मान. उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किये।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत तस्वारिया द्वारा प्रश्नगत पटटा संख्या 44 दिनांक 05.10.1980 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के विहित नियमों के विरूद्व होने से खारिज किया जाना उचित ठहरता हैं। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत तस्वारिया पंचायत समिति हुरडा द्वारा जारी पटटा संख्या 44 दिनांक 05.10.1980 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के विहित नियमों के विरूद्व होने से खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत तस्वारिया पंचायत समिति हुरडा तहसील हुरडा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6.10.25

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा